करण संख्या :–91 / 2016 र0 प

न्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

नोलदास पिता भुरदास बैरागी निवासी मेहन्दी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा । **वादी**

बनाम

1. चुन्नी दास पिता भुरदास बैरागी
2. रामदास पिता भुरदास बैरागी
3. सोहनदास पिता भुरदास बैरागी
4. किशनदास पिता भुरदास बैरागी सर्व निवासी मेहन्दी तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 सातलियास तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा ।

प्रतिवादीगण

दिनांक :–08.08.2017

–:निर्णय :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम रंगीली पटवार माझावास सहाड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 92 रकबा 0.04 हे0, 94 रकबा 0.23 हे0, 95 रकबा 0.46 हे0, 96 रकबा 0.29 हे0, 97 रकबा 0.03 हे0, 98 रकबा 0.35 हे0, 99 रकबा 0.60 हे0, 100 रकबा 0.02 हे0, 101 रकबा 0.66 हे0, 102 रकबा 0.49 हे0, 103 रकबा 0.01 हे0, 104 रकबा 0.22 हे0, 105 रकबा 0.56 हे0, 106 रकबा 0.46 हे0, कुल किता 14 रकबा 4.42 हे0, दर्ज रेकार्ड है । जिसमें वादी 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा निहित है । वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से भूमि को उपजाऊ बनाने लगान जमा कराने ऋण आदि लेने में अड़चन आती है । उक्त आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादीगण का अपने हिस्से एवं कब्जे अनुसार हिस्सा विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खातें कायम करवाया जाए । प्रकरण विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । वादी अधिवक्ता व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 उपस्थित होकर आपसी सहमति के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता कब्जे व हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

प्रकरण का विधिवत विचारण किया जाकर वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया और तहसीलदार सहाड़ा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आरेश प्रदान किया गया तहसीलदार सहाड़ा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर वादी व प्रतिवादीगण को सुना गया विभाजन प्रस्ताव पर किसी पक्षकार ने आपत्ति नहीं कि लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी उचित एवं न्याय हित में है ।

–:आदेश:–

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिकी किया जाता है और संयुक्त खातेदारी की आराजियात को खातेदारो में नियमानुसार ... किया जाता है।

क्रमश........

प्रकरण संख्या :–91 / 2016

अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

1. नोलदास पिता भुरदास बैरागी सा. मेहन्दी खातेदार रहनः– ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 सातलियास

आ0नं0	रकबा
98 / 1	0.04
99 / 1	0.15
100	0.02
101 / 2	0.65
कुल किता 04	**कुल रकबा 0.86 हे0**

2. चुनीदास, रामदास, सोहनदास,किशनदास पिता भूरदास बैरागी सा. महेन्दी खातेदार रहनः– ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 सातलियास हिस्सा रामदास, सोहनदास,किशनदास पर

आ0नं0	रकबा
92	0.04
94	0.23
95	0.46
96	0.29
97	0.03
98 / 2	0.31
99 / 2	0.45
102 / 2	0.46
104 / 2	0.19
105 / 2	0.54
106 / 2	0.44
कुल किता 11	**कुल रकबा 3.44 हे0**

3. शामलाती बदस्तुर

आ.न.	रकबा
101 / 1	0.01
102 / 1	0.03
103	0.01
104 / 1	0.03
105 / 1	0.02
106 / 2	0.02
कुल किता 06	**कुल रकबा 0.12 हे0**

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। अंतिम डिकी जारी हो आदेश आज दिनांक 08.08.2017 को सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)

सहायक कलक्टर

(उपखण्ड अधिकारी)